



स्कूल विकास योजना (एरि.डी.पी)

शिक्षा अधिकार अधिनियम (धारा 22) के अनुसार, प्रत्येक एकाइमणी को स्कूल विकास योजना तैयार करनी चाहिए।

- एरडीपी तीन वर्ष के लिए होगा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले तक के लिए
- एरडीपी शुभारंभ करता है:

 - अतिरिक्त शिक्षकों, बुनियादी शुविधाओं और उपकरणों की आवश्यकता
 - विशेष प्रशिक्षण शुविधा और बच्चों के हकों, डैरी- गिःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता के लिए वित्तीय आवश्यकता

- एरडीपी, एकाइमणी के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और संयोजक छारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और इसे २थानीय प्राधिकारी के पास जमा करें

